पूर्वानुसार दिनांक.........

15.4.25 वकील वादी द्वारा प्रा०पत्र पेश करने एवं अधि० प्रतिवादी द्वारा No obj. किए जाने पर न्यायहित में पत्रावली पेशी में ली गई। वकील वादी ने वाद को विड्रा में खारिज किए जाने का निवेदन किया। अतः वाद इसी स्तर पर विड्रा में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नं० पेश कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।